बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– वैश्विक महामारी Novel Corona Virus (COVID-19) के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति।

वैश्विक महामारी Novel Corona Virus (COVID-19), की रोकथाम एवं चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की महती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।

2–उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है।

3–प्रोत्साहन राशि हेतु चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी, जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन किया गया हो, पात्र होंगे। इस हेतु विभाग द्वारा चिन्हित नियमित एवं संविदागत कर्मी अर्हित माने जायेंगे। वैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी, जिनके द्वारा COVID-19 में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, उन्हें यह प्रोत्साहन राशि अनुमान्य नहीं होगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी।

4–सभी के संदर्भ में मूल वेतन का आधार 1ली अप्रील, 2020 को प्राप्त मूल वेतन होगा।

5–इस व्यय का वहन माँग सं0–20 (स्वास्थ्य विभाग) के अंतर्गत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यालय से संबंधित सुसंगत विपत्र कोड के सुसंगत विषय शीर्ष अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6– इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव

02/8/2020

ज्ञापांकः–12/प०–विविध–08–27/2020– 571(12) **/स्वा0, पटना, दिनांक**– 02 /08 **/2020**

प्रतिलिपिः–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांकः—12/प०—विविध—08—27/2020— 571(12) /स्वा0, पटना, दिनांक— 02/08/2020

प्रतिलिपिः—सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्राचार्य एवं सभी अधीक्षक, सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/निदेशक, सभी स्वास्थ्य संस्थान, बिहार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अन्य सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/8/2020

सचिव